गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

JUVENILE JUSTICE BOARD (JJB)

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

BPRD

किशोर न्याय बोर्ड

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

Relevant Provisions in the New Criminal Laws

- Section 20 of Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023 provides that anything which is done by a child under seven years of age is not to be considered as an offence.

- As per Section 21 of BNS 2023, nothing is an offence which is done by a child above seven years of age and under twelve years of age, who has not attained sufficient maturity of understanding to judge the nature and consequences of his/her conduct on that occasion.

- Section 27 of the CrPC is deleted in the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) 2023.

- Section 300 of BNSS 2023 says that the provisions of plea bargaining are not applicable to offences against child.

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

नए आपराधिक कानूनों में प्रासंगिक प्रावधान

- भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 20 कहती है कि सात साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है।

- भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 21 के अनुसार, सात साल से अधिक उम्र और बारह साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है, जिसने उस अवसर पर अपने कार्य की प्रकृति और परिणामों का आंकलन करने के लिए पर्याप्त समझ की परिपक्वता प्राप्त नहीं की है।

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 में सीआरपीसी की धारा 27 को हटा दिया गया है।

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 300 कहती है कि plea bargaining के प्रावधान बच्चों के खिलाफ अपराधों पर लागू नहीं होते हैं ।

- Section 401 of BNSS talks about order to release on probation for good conduct or after admonition, and shall not affect the provisions of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act.

- Section 402 of BNSS mentions that special reasons are to be recorded by the Court for not dealing with a youthful offender under the JJ Act.

- As per the JJAct, as soon as a child alleged to be in conflict with law is apprehended by the police, such child should be placed under the charge of the special juvenile police unit or the designated child welfare police officer, who is bound to produce the child before JJB within 24 hours of apprehension. The child should not be placed in a police lockup or lodged in jail. Further such child, whether he has committed a bailable or non-bailable offence, has to be released on bail with or without surety. Only under certain special circumstances the child may not be released on bail but in that case he/she has to be kept in an observation home in prescribed manner until brought before a JJB.

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 401 अच्छे आचरण के लिए या चेतावनी के बाद, परिवीक्षा पर रिहा करने के आदेश की बात करती है, और यह भी कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम को प्रभावित नहीं करेगी।

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 402 में उल्लेख है कि किशोर न्याय अधिनियम के तरह एक युवा अपराधी से निपटने के लिए न्यायालय द्वारा विशेष कारण दर्ज किए जाने हैं।

- किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार, जैसे ही कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, ऐसे बच्चे को विशेष किशोर पुलिस इकाई या नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार में रखा जाना चाहिए, जो बच्चे को 24 घंटे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। बच्चे को पुलिस लॉकअप में नहीं रखा जाना चाहिए या जेल में बंद नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा ऐसे बच्चे को, चाहे उसने जमानती या गैर- जमानती अपराध किया हो, जमानत के साथ या उसके बिना, surety पर रिहा किया जाना चाहिए। केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है, लेकिन उस स्थिति में उसे किशोर न्याय बोर्ड के सामने लाए जाने तक निर्धारित तरीके से अवलोकन गृह में रखा जाना चाहिए।